नए समाज की ओर
Towards a new dawn

सत्यमेव जयते

CARA

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Women & Child Development, Government of India

‘नो विज़िटेशन’ और ‘अनफ़िट गार्डियन्स/ पेरेंट्स’ की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले बच्चों की पहचान

राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA), बाल कल्याण समिति (CWC), जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU), विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) और बाल देखरेख संस्था (CCI) के सूचनार्थ

carahdesk.wcd@nic.in

https://cara.wcd.gov.in

CARA हेल्पलाइन नंबर: 1800-11-1311
प्रात: 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार)
राजपत्रित अवकाश को छोड़कर

पृष्ठभूमि

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (3), अनुच्छेद 39 के खंड (ङ) और (च), अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 47 में वास्तव में बच्चों के कल्याण और सुरक्षा से संबंधित कई प्रावधान हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो सकें और उन्हें उनके मानवाधिकार प्राप्त हो सकें। ये संवैधानिक प्रावधान सामूहिक रूप से बच्चों के समग्र विकास, कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी पर बल देते हैं।

2. इसके अलावा, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 (यथासंशोधित 2021) [Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015 (amended in 2021] में भी परिवार में बच्चों के अधिकारों की बात दोहराई गई है। इसका उल्लेख धारा 3 के अंतर्गत बच्चों के सामान्य सिद्धांतों में भी किया गया है, जैसे सहभागिता का सिद्धांत, सर्वोत्तम हित का सिद्धांत, पारिवारिक जिम्मेदारी का सिद्धांत तथा संस्थागत देखरेख को अंतिम उपाय मानने का सिद्धांत। अधिनियम की धारा 29 के अनुसार बाल कल्याण समिति (CWC) के पास 'देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बच्चों (CNCP)' की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के मामलों का निपटान करने का प्राधिकार होगा। इसके अतिरिक्त, समिति द्वारा ऐसे बच्चों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं और संरक्षण प्रदान करने का भी प्रावधान है।

3. अधिनियम की धारा 39 में यह भी प्रावधान है कि इस अधिनियम के तहत बच्चों के पुनर्वास और समाज में उन्हें मिलाने की प्रक्रिया बच्चों की व्यक्तिगत देखरेख योजना (Individual Care Plan) पर आधारित होगी। यह मुख्यत: पारिवारिक देखरेख के माध्यम से होगी, जैसे बच्चों की परिवार या संरक्षक (guardian) के पास वापसी (restoration)। यह कार्य पर्यवेक्षण या प्रायोजन (sponsorship), या दत्तक-ग्रहण या फॉस्टर केयर (Foster Care) के साथ भी हो सकता है और उसके बिना भी।

> बशर्ते सहोदर (भाई-बहनों) को संस्थागत या गैर-संस्थागत देखरेख में एक-साथ रखने के सभी प्रयास तब तक किए जाएँगे, जब तक उन्हें एक-साथ रखा जाना उनके सर्वोत्तम हित में होगा ।

4. दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 और मॉडल फॉस्टर केयर गाइडलाइन्स (Model Foster Care Guidelines) में बच्चों के हितों को केंद्र में रखते हुए ऐसी व्यवस्था की गई है, जिससे 'देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बच्चों (CNCP)' को दत्तक-ग्रहण में दिया जा सके, फॉस्टर केयर (Foster Care) में दिया जा सके तथा फॉस्टर केयर (Foster Care) का बच्चा आगे फॉस्टर दत्तक-ग्रहण (Foster Adoption) में भी जा सके।

5. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अदालती मामले W.P.C No.1003/2021 में दिनांक 20-11-2023 को सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को यह निर्देश दिया कि वे अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित श्रेणी के बच्चों की पहचान करने के लिए हर 2 महीने में अभियान चलाएँ। इसके साथ ही यह निर्देश भी दिया गया कि बाल देखरेख संस्थाओं (CCIs) में रहने के लिए विवश बच्चों की पहचान की जाए तथा उन बच्चों की भी पहचान की जाए जो इन संस्थानों तक पहुँचे ही नहीं हैं। न्यायालय ने सभी बच्चों का ऑनलाइन पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इन बच्चों को 5 श्रेणियों में बाँटा जा सकता है : अनाथ (Orphan), परित्यक्त (Abandoned), अभ्यर्पित (Surrendered), नो विज़िटेशन (No Visitation) और अनफ़िट गार्डियन्स (Unfit Guardian)।

6. ऐसे बच्चे जिनसे कोई मिलने नहीं आता (No Visitation) या जिनके माता-पिता/ संरक्षक (guardian) अनफ़िट हैं, उनका पता लगाने के लिए गहन दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। आमतौर पर इस कार्य के लिए विभिन्न हितधारकों (stakeholders) जैसे पुलिस (Police), बाल कल्याण समिति (CWC), जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU), विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) और बाल देखरेख संस्था (CCI) के बीच सहयोग व समन्वय की ज़रूरत होती है।

7. ऐसी भी स्थिति हो सकती है, जब बच्चे की सुरक्षा और उसके कल्याण के लिए बच्चे के संरक्षक (guardian) को अयोग्य या अक्षम माना जाए। ऐसे में बाल कल्याण समिति (CWC) को सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कार्य करना होगा। सभी संबंधित हितधारक (stakeholders) बच्चों की पहचान करने के लिए बाल कल्याण समिति (CWC) की सहायता करेंगे। इस सहायता में कई प्रकार के कार्य शामिल हो सकते हैं, जैसे सामाजिक जाँच रिपोर्ट (SIR) तैयार करना, जैविक परिवार के साथ संपर्क करना, परामर्श (counselling) प्रदान करना तथा समिति (CWC) द्वारा दिया गया कोई अन्य कार्य करना।

8. इन परिस्थितियों में बच्चों की देखरेख के लिए वैकल्पिक व्यवस्था (alternative care) या अन्य उपायों की आवश्यकता हो सकती है ताकि उनकी सुरक्षा, उनका कल्याण और उचित पालन-पोषण सुनिश्चित किया जा सके। ऐसे मामलों में, हालात का जायज़ा लेने में, सभी ज़रूरी कारकों पर विचार करने में तथा ऐसे निर्णय करने में बाल कल्याण समिति (CWC) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिससे बच्चों की सुरक्षा, खुशहाली और सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता दी जा सके। इसके लिए देखरेख की वैकल्पिक व्यवस्था का पता लगाया जा सकता है, जैसे बच्चे को उपयुक्त फॉस्टर केयर परिवार में भेजना अथवा उसके दत्तक-ग्रहण को आगे बढ़ाना, यदि यह बच्चे के विकास और उसके भविष्य की संभावनाओं के लिए लाभदायक हो।

9. इस पूरी प्रक्रिया में परामर्श (counselling) प्रदान करने की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे माता-पिता या संरक्षकों (guardian) को स्थिति को समझने में, उपलब्ध विकल्पों का पता लगाने में तथा बच्चे के कल्याण हेतु लिए गए निर्णयों की जानकारी देने में मदद मिलती है। इस प्रकार संबंधित माता-पिता/ संरक्षक (guardian) को और बाल देखरेख संस्थाओं (CCIs) में रहने वाले बड़े बच्चों को भी अनिवार्य रूप से परामर्श (counselling) प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उन्हें फॉस्टर केयर और दत्तक-ग्रहण जैसी वैकल्पिक देखरेख (alternative care) के लिए तैयार किया जा सके।

बच्चों का व्यापक वर्गीकरण

10. बच्चों की पाँच श्रेणियाँ जहाँ उन्हें देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता होती है, जो उनके परिवार और संरक्षक की व्यवस्था को प्रभावित करती हैं, नीचे बताई गई हैं:

a) 'अनाथ (Orphan)' से ऐसा बच्चा अभिप्रेत है : (i) जिसके जैविक या दत्तक माता-पिता या विधिक संरक्षक नहीं है; या (ii) जिसके विधिक संरक्षक उसकी देखरेख करने के इच्छुक नहीं हैं, या देखरेख करने में सक्षम नहीं है। [धारा 2 (42) *]

b) 'परित्यक्त (Abandoned) बालक' से ऐसा बच्चा अभिप्रेत है जिसे उसके जैविक या दत्तक माता-पिता या संरक्षक द्वारा छोड़ दिया गया है तथा उचित जाँच के बाद समिति (बाल कल्याण समिति) द्वारा उसे परित्यक्त घोषित किया गया है। [धारा 2 (1) *]

c) 'अभ्यर्पित (Surrendered) बच्चा' - वह बच्चा, जिसे माता-पिता अथवा संरक्षक द्वारा ऐसे शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक कारकों, जो उनके नियंत्रण से परे हैं, के कारण समिति (बाल कल्याण समिति) को त्याग दिया गया है तथा समिति (बाल कल्याण समिति) द्वारा उस रूप में उसे ऐसा घोषित किया गया है। [धारा 2 (60) *]

d) 'नो विज़िटेशन (No Visitation)' से अभिप्राय ऐसे बच्चे से है जिसके संरक्षक (guardian) नहीं हैं तथा वह बच्चा जिससे उसके संरक्षकों का कई वर्षो से संपर्क नहीं हुआ है [नियम 17 (x) **]

e) अनफ़िट गार्डियन्स की श्रेणी में आने वाले बच्चे –

(i) जो मानसिक रूप से बीमार है या मानसिक या शारीरिक रूप से नि:शक्त है या वह किसी घातक या असाध्य रोग से पीड़ित है, जिसकी सहायता या देखभाल करने वाला कोई नहीं है या जिसके माता-पिता या संरक्षक (guardian) उसकी देखभाल करने के लिए अयोग्य एवं अक्षम हैं, यदि बोर्ड या समिति द्वारा ऐसा पाया जाता है [धारा 2(14) (iv)*];

(ii) जिसके माता-पिता या संरक्षक (guardian) तो हैं परंतु बच्चे की देखभाल, सुरक्षा और कल्याण के लिए समिति या बोर्ड द्वारा उन्हें अयोग्य या अक्षम पाया जाता है [धारा 2(14)(v)*];

(iii) 'अनफ़िट गार्डियन्स की श्रेणी में आने वाले बच्चे' से अभिप्राय ऐसे बच्चे से है जिसके माता-पिता या संरक्षक (guardian) बच्चे का पालन-पोषण और देखभाल करने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं, वे मादक पदार्थों का अत्यधिक सेवन करते हैं, बच्चे के साथ दुर्व्यवहार या उनकी उपेक्षा करने के लिए जाने जाते हैं, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, जिन्हें अपनी स्वयं की देखभाल की आवश्यकता है , जो मानसिक रूप से अक्षम हैं आदि। ऐसे सभी माता-पिता के बच्चों को इस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा।

* किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (यथासंशोधित 2021)

** किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) आदर्श नियम, 2022

'नो विज़िटेशन' की श्रेणी में बच्चों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

11. ऐसे बच्चों से जुड़े जटिल मुद्दों के निवारण के लिए जिस समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, वह इसकी प्रक्रिया में निहित है। यह संदर्भ विशेष, क्षेत्राधिकार और कानूनी ढांचे पर निर्भर है। बच्चे के सर्वोत्तम हित और उसकी खुशहाली के आकलन, हस्तक्षेप, सहायता एवं एडवोकेसी को विभिन्न चरणों में प्राथमिकता दी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है :

a) बाल देखरेख संस्थाओं (CCIs) के केस वर्कर या बाल कल्याण अधिकारी नो विज़िटेशन के संभावित मामलों की सूचना जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) और बाल कल्याण समिति (CWC) को देंगे। यह सूचना व्यक्तिगत देखरेख योजना (ICP) के माध्यम से नवीनतम स्थिति के साथ दी जाएगी।

b) यदि एक वर्ष से अधिक समय से बच्चे से मिलने कोई नहीं आता है (no visitation) तो यह चिंताजनक स्थिति है तथा उसकी बारीकी से जाँच करके यह पता लगाए जाने की ज़रूरत है कि बच्चे के हितों की अनदेखी तो नहीं हो रही ।

c) बाल कल्याण समिति (CWC) बच्चे के परिवार की परिस्थिति का जायज़ा लेने तथा बच्चे से मिलने न आने के कारणों का पता लगाएगी। इसके लिए वह केस वर्कर या बाल कल्याण अधिकारी को निर्देश देगी। इस आकलन के आधार पर यदि संभव होगा तो बच्चे को परिवार से मिलाने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएँगे ।

d) बाल कल्याण समिति (CWC) ऐसे बच्चों की कानूनी स्थिति तय करेगी। यह कार्य केस वर्कर या बाल कल्याण अधिकारी द्वारा तैयार की गई सामाजिक जाँच रिपोर्ट (SIR-फॉर्म 22), व्यक्तिगत देखरेख योजना (ICP-फॉर्म 7) तथा बच्चे के मामले की पिछली जानकारी (Case History-फॉर्म 43) जैसे आवश्यक दस्तावेजों के अनुसार किया जाएगा।

e) बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा कोई निर्णय करने से पहले विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है जैसे बच्चे की आयु, जैविक या विस्तारित परिवार (extended family) द्वारा विश्वासपूर्ण रिश्ता (healthy relationship) बनाए रखने के लिए किए गए प्रयास, वैकल्पिक देखरेख (alternative care) के लिए जैविक माता–पिता या संरक्षक (guardian) की सहमति तथा भावी फॉस्टर परिवार की उपलब्धता।

f) बाल देखरेख संस्था (CCI) और जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा माता–पिता या संरक्षक (guardian) को बच्चे से मिलने के लिए प्रेरित किया जाए, ज़रूरी रिकॉर्ड रखे जाए, जैविक माता- पिता या संरक्षक (guardian) को यह जानकारी दी जाए कि यदि बच्चा लंबे समय तक संस्था में रहता है तो उसके क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं ? माता- पिता या संरक्षक (guardian) को तथा बड़े बच्चों को परामर्श सेवा (counselling services) दी जाए ताकि लिए गए निर्णयों की जानकारी भी दी जा सके। इनमें बच्चों को परिवार में दोबारा मिलाना या फॉस्टर केयर एवं दत्तक-ग्रहण के माध्यम से उन्हें वैकल्पिक पारिवारिक देखरेख (alternative family care) प्रदान करना शामिल है।

g) बाल देखरेख संस्थाओं (CCIs) द्वारा नो विज़िटेशन के अंतर्गत आने वाले बच्चों का विवरण संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) को दिया जाए ताकि CARINGS पोर्टल पर उनका पंजीकरण किया जा सके, उनका सही रिकॉर्ड रखा जा सके और उनकी मॉनीटरिंग की जा सके।

h) बाल कल्याण समिति (CWC) केस वर्कर या बाल कल्याण अधिकारी द्वारा तैयार की गई स्थिति रिपोर्टों (status reports) के आधार पर अनिवार्य रूप से तिमाही समीक्षा करेगी ताकि इन मामलों में हुई प्रगति का तथा शीघ्र गैर-संस्थाकरण किए जाने की समीक्षा की जा सके।

अनफ़िट गार्डियन्स / पेरेंट की श्रेणी में बच्चों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

12 . ऐसे बच्चों की पहचान करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि बच्चे की कानूनी स्थिति क्या है, माता–पिता / संरक्षक (guardian) के स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन करने के लिए मेडिकल बोर्ड के साथ संपर्क व समन्वय किया जाए, बच्चे की परिवार में वापसी किया जाना तथा गैर-संस्थाकरण देखरेख के लिए समय–समय पर नियमित समीक्षा करना। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है :

a) यदि बच्चे के जैविक माता–पिता / संरक्षक (guardian), जो लागू हो, मानसिक रूप से नि:शक्त हैं या मानसिक रूप से बीमार हैं, तो विशिष्ट दत्तक-ग्रहण संस्था (SAA) या बाल देखरेख संस्था (CCI) द्वारा मेडिकल बोर्ड से संपर्क किया जाएगा ताकि जैविक माता–पिता / संरक्षक (guardian) को उनकी बीमारी की गंभीरता के आधार पर अयोग्य/अक्षम (unfit) घोषित किए जाने का प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सके।

b) बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) को निदेश दिया जाएगा:- मेडिकल बोर्ड के साथ संपर्क व समन्वय करने के लिए, जैविक परिवार और बड़े बच्चों को परामर्श (counselling) प्रदान करने के लिए; तथा अन्य कोई ऐसा कार्य करने के लिए, जिसे समिति उपयुक्त समझे।

c) बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा जैविक माता–पिता / संरक्षक (guardian) के बारे में विभिन्न माध्यमों से सूचना एकत्र की जाएगी ताकि उन्हें संबंधित कारणों से अयोग्य/ अक्षम (unfit) घोषित किया जा सके। ये कारण हो सकते हैं :- बच्चे के साथ उनका दुर्व्यवहार एवं उपेक्षा, उनका आपराधिक रिकॉर्ड, बच्चे की देखरेख में उनकी असमर्थता या अनिच्छा तथा उनके द्वारा मादक पदार्थों का अत्यधिक सेवन।

d) यदि जैविक माता–पिता में से कोई एक अयोग्य/ अक्षम (unfit) पाया जाए तो बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे को परिवार से मिला दिया जाए तथा परिवार को बनाए रखने का प्रयास किया जाए।

e) बाल देखरेख संस्था (CCI) और जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा माता–पिता / संरक्षक (guardian) को परामर्श (counselling) सेवा प्रदान की जाए ताकि वे बच्चे के पुनर्वास (rehabilitation) के लिए बच्चे का अभ्यर्पण (surrender) कर सकें। साथ ही बड़े बच्चे को भी परामर्श (counselling) सेवा प्रदान करें ताकि उसे फॉस्टर केयर और दत्तक-ग्रहण के माध्यम से वैकल्पिक पारिवारिक देखरेख (alternative family care) के लिए तैयार किया जा सके।

f) बाल कल्याण समिति (CWC) ऐसे बच्चों की कानूनी स्थिति तय करेगी। यह कार्य केस वर्कर या बाल कल्याण अधिकारी द्वारा तैयार की गई सामाजिक जाँच रिपोर्ट (SIR - फॉर्म 22), व्यक्तिगत देखरेख योजना (ICP - फॉर्म 7) तथा बच्चे के मामले की पिछली जानकारी (Case History - फॉर्म 43) जैसे आवश्यक दस्तावेजों के अनुसार किया जाएगा।

g) बाल देखरेख संस्थाओं (CCIs) द्वारा अनफ़िट गार्डियन्स/ पेरेंट्स की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले बच्चों का विवरण संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) को दिया जाए ताकि CARINGS पोर्टल पर उनका पंजीकरण किया जा सके, उनका सही रिकॉर्ड रखा जा सके और उनकी मॉनीटरिंग की जा सके।

h) बाल कल्याण समिति (CWC) केस वर्कर या बाल कल्याण अधिकारी द्वारा तैयार की गई स्थिति रिपोर्टों (status reports) के आधार पर अनिवार्य रूप से तिमाही समीक्षा करेगी ताकि इन मामलों में हुई प्रगति का तथा शीघ्र गैर –संस्थाकरण किए जाने की समीक्षा की जा सके।

* किशोर न्याय अधिनियम 2015 (यथासंशोधित 2021 की धारा 2(21) के अनुसार बाल देखरेख संस्था से अभिप्राय विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) से भी है।

मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम (MHCA), 2017 की धारा 2 (1) (s) में परिभाषित किया गया है- "मानसिक रुग्णता से चिंतन, मनःस्थिति, अनुभूति, अभिविन्यास या स्मृति का ऐसा पर्याप्त विकार अभिप्रेत है, जिससे निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता, एल्कोहल और मादक द्रव्यों के दुरुपयोग से सहबद्ध मानसिक दशा अत्यधिक क्षीण हो जाती है किंतु इसके अंतर्गत ऐसी मानसिक मंदता नहीं है, जो किसी व्यक्ति के चित्त के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की ऐसी दशा है जिसे विशेष रूप से बुद्धिमत्ता की अवसामान्यता के रूप में वर्णित किया जाता है"।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (यथासंशोधित 2021) की धारा 38 (3) के अनुसार "मंदबुद्धि माता-पिता के बच्चे या यौन-उत्पीड़न के शिकार अवांछित बच्चे के संबंध में किसी अन्य विधि में शामिल किसी बात के होते हुए भी, ऐसे बच्चे को समिति द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत प्रक्रिया का पालन करते हुए दत्तक-ग्रहण के लिए मुक्त घोषित किया जा सकेगा"।

दत्तक–ग्रहण विनियम 2022 के विनियम 6 (18) के अनुसार "बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा मानसिक बीमारी या बौद्धिक अक्षमता वाले माता-पिता के बालक को दत्तक-ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा उसके संबंध में स्थापित कानूनों के अनुसार केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से माता-पिता की मानसिक दिव्यांगता को दर्शाने वाले प्रमाण पत्र के आधार पर की जाएगी"।

CARA

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066 (भारत)
West block - 8, Wing - 2, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi - 110066 (India)
कारा हेल्पलाइन नंबर /CARA Helpline No. : 1800-111-311 (टोल फ्री/Toll Free)
[सोमवार से शुक्रवार प्रात : 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर)]
[Available between 8:00 AM to 8:00 PM (Mon-Fri, Except Gazetted Holidays]
ई /मेल -E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, वेबसाइट /Website: https://cara.wcd.gov.in,
CARINGS : https://carings.wcd.gov.in

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का सांविधिक निकाय)
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)

सत्यमेव जयते

CARA

सं./No. E.96181/CARA-EA043/9/2021

Azadi Ka Amrit Mahotsav

दिनांक / Date 15-04-2024....

कार्यालय ज्ञापन
OFFICE MEMORANDUM

यह दिनांक 28-03-2024 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के क्रम में है । केयरिंग्स (CARINGS) पोर्टल पर बच्चों के पंजीकरण को निम्नलिखित प्रावधानों के अनुरूप संशोधित किया गया है:
This is in continuation to the Office Memorandum of even number dated 28-03-2024. The registration of children on CARINGS portal has been modified with the following provisions:

a) बच्चों को केयरिंग्स (CARINGS) पोर्टल पर पाँच श्रेणियों (अनाथ, परित्यक्त, अभ्यर्पित, नो विज़िटेशन और अनफ़िट माता-पिता/संरक्षक) में पंजीकृत किया जाएगा।
The children will be registered on CARINGS portal in FIVE categories (Orphan, Abandoned, Surrendered, No Visitation, Unfit Guardians).

b) सभी अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बच्चों को आमतौर पर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (यथा संशोधित 2021) और दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत दत्तक-ग्रहण के माध्यम से पुनर्वासित किया जाता है। ये बच्चे दत्तक-ग्रहण के पात्र हैं अथवा नहीं, इसका निर्णय बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा उन्हें 'दत्तक-ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त (LFA)' घोषित करने के अनुसार किया जाएगा।
All Orphan, Abandoned or Surrendered children are generally rehabilitated through adoption as per the provisions of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (as amended in 2021) and Adoption Regulations, 2022. Their adoptability in terms of 'Legally Free for Adoption (LFA)', will be ascertained by Child Welfare Committee (CWC).

c) जहां तक 'नो विज़िटेशन' और 'अनफ़िट गार्डियन्स' की श्रेणी के तहत पंजीकृत बच्चों का संबंध है, तो वे मुख्य रूप से 'फॉस्टर केयर' के लिए संभावित मामले होंगे जिनके लिए केयरिंग्स (CARINGS) पोर्टल पर प्रावधान किया गया है । इस प्रकार के बच्चों को जब एक बार विधिक रूप से मुक्त (LFA) घोषित कर दिया जाता है, तो उनका स्थायी पुनर्वास दत्तक-ग्रहण के माध्यम से किया जाता है ।
As far as children registered under the category of 'No Visitation' and 'Unfit Guardians' are concerned, they will primarily be potential cases for 'foster care' as provisioned on CARINGS portal. Once such children are declared legally free, their permanent rehabilitation can be facilitated through adoption.

d) यदि उपरोक्त पाँच श्रेणियों के तहत बच्चों का कोई दावेदार नहीं पाया जाता है, तो बच्चों को 'दत्तक-ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त (LFA)' घोषित करने की प्रक्रिया संबंधित बाल कल्याण समिति (CWC) के माध्यम से शीघ्रता से पूरी की जाएगी ।
In cases where children under FIVE categories are found to have no claimants, the process for 'Legally Free for Adoption (LFA)' may be completed expeditiously through the Child Welfare Committee (CWC) concerned.

Contd...2/-

e) यदि ऐसा प्रतीत हो कि इन पाँच श्रेणियों के तहत बच्चे का श्रेणी-निर्धारण और पंजीकरण करने में समय लगेगा, तो उस परिस्थिति में बच्चे को 'अन्य (OTHER)' श्रेणी में पंजीकृत किया जा सकता है। तत्पश्चात, संबंधित बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा मूल्यांकन के आधार पर, बच्चे की सही स्थिति निर्धारित की जा सकती है और बच्चे को 'अन्य (OTHER)' श्रेणी से उपरोक्त पाँच श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में स्थानांतरित किया जा सकता है (दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 के अध्याय V को देखें)। तदनुसार, जिला स्तर के अधिकारी नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार **बच्चे की श्रेणी** बदल सकते हैं:

The moment it is realised that it will take time to register the child in five categories; the child may be registered in the category of 'OTHER'. Further, based on the assessment by the concerned Child Welfare Committee (CWC) (refer Chapter V of JJ Model Rules 2022), the exact status of the child may be determined and child may be shifted from OTHER category to any of the five categories. Accordingly, the district authorities can change the **category of child**, as per the procedure given below :

DCPU द्वारा पंजीकृत बच्चों के लिए प्रक्रिया :

Procedure for children registered by DCPU :

DCPU Portal → Child Care Institution (CCI) Information → Registered Children Details → Details of Registered CCI Children (for updation)

SAA द्वारा पंजीकृत बच्चों के लिए प्रक्रिया :

Procedure for children registered by SAA :

SAA Portal → Children Registration → Children Updation Details → Children Updation Details (for updation)

2) यदि CARINGS पोर्टल पर बच्चों की पंजीकरण-प्रक्रिया के दौरान कोई तकनीकी समस्या उत्पन्न होती है, तो उसे CARA के संज्ञान में लाएँ तथा स्क्रीनशॉट के साथ ई-मेल carahdesk.wcd@nic.in पर भेजें। संदर्भ के लिए बच्चों की पाँच श्रेणियों की परिभाषाएँ संलग्न हैं ।

If any technical issue arises during the registration process of children on CARINGS portal, the same may be brought into the notice of CARA through email with screen shot to carahdesk.wcd@nic.in . The definitions of five categories of children are enclosed for reference.

3) कृपया यह सुनिश्चित करें कि जो बच्चा पोर्टल पर पहले से पंजीकृत है, उसका दोबारा पंजीकरण न किया जाए ।
Please ensure that a child, who is already registered on CARINGS Portal, should not be registered again.

(डॉ. जगन्नाथ पति)
(Dr. Jagannath Pati)
निदेशक (कार्यक्रम)
Director (Programme)

संलग्न: ऊपर वर्णित

Enclosed: As above.

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर सभी नोडल अधिकारी/ All Nodal Officers at State/UT level
2. राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण/ State Adoption Resource Agencies (SARAs)
3. जिला बाल संरक्षण इकाई/ District Child Protection Units (DCPUs)
4. विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण/ Specialised Adoption Agencies (SAAs)
5. बाल देखरेख संस्था/ Child Care Institutions (CCIs)